भारत भारत भारत भारत भारत भारत INDIA
रुपये पाँच पाँच रुपये पाँच रुपये पाँच रुपये पाँच रुपये FIVE RUPEES

115

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

निगरानी-4455/2018/भोपाल/भू.रा. **प्रकरण क्रमांक : ....**

01. **सूरज सिंह** आ0 श्री नन्नूलाल, वयस्क
02. **लखन** आ0 श्री नन्नूलाल, वयस्क
03. **अजय** आ0 लालजी, वयस्क
04. **सुभाष** आ0 रामचरण, वयस्क
05. **ओमप्रकाश** आ0 रामचरण, वयस्क
06. **बाबूलाल** आ0 रामचरण, वयस्क

निवासी – ग्राम फंदाखुर्द, तहसील हुजूर,
जिला भोपाल .... **प्रार्थीगण**

आवेदक अभि. श्री ... द्वारा भोपाल कैम्प में प्रस्तुत। 26/6/18

विरूद्ध

01. **लक्ष्मण सिंह** आ0 ईश्वर सिंह, वयस्क
02. **लाड़सिंह** आ0 कन्हैयालाल, वयस्क

निवासी फंदाखुर्द, तहसील हुजूर,
जिला भोपाल .... **प्रतिप्रार्थीगण**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध सीमांकन आदेश दिनांक 26.06.2016 , जो प्रकरण क्र. 41/अ–12/2015–16 में श्रीमान् राजस्व निरीक्षक महोदय, वृत्त–4, तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा पारित किया गया।

महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थी क्र. 01 लक्ष्मण सिंह ने भूमि खसरा क्रमांक 362 रकबा 0.610 हेक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त सीमांकन में विधिवत् कार्यवाही किये बगैर पारित आलोच्य आदेश के द्वारा प्रार्थीगण एवं प्रतिप्रार्थी क्र. 02 की भूमि पर अवैध आधिपत्य बताया गया है, जिससे दुःखित एवं असंतुष्ट होकर श्रीमान के समक्ष यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की जा रही

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4455/2018/भोपाल/भू-रा. जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त-4 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त-4 तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 15-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	